2021/88

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट | **बनाम** | **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री धर्मेन्द्र गहलोत पुत्र श्री नारायणलाल
जाति गहलोत
निवासी शीतला माता वास, शिवगंज
जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 50 वर्ष 2021

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
03.05.2021	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 15.07.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि जिला कलक्टर सिरोही के पत्रांक / विकास / 2020 / 154 दिनांक 31.01.2020 के द्वारा सीडीईओ सिरोही श्री लक्ष्मीदेवी की बेटी के नाम कार लगाकर अनियमिता करने की जांच एवं जिला कलक्टर सिरोही के पत्रांक / विकास / 2020 / 155 दिनांक 31.01.2020 एवं पत्रांक 283 दिनांक 18.02.2020 के संदर्भ में पाटी पेन का लाखों का बकाया तो कम्पनी ने नोटिस थमाया सीडीईओ सिरोही के विरूद्ध की जांच, उक्त सभी जांच एसडीएम सिरोही के द्वारा की गई जांच की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 15.07.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि जिला कलक्टर सिरोही के पत्रांक / विकास / 2020 / 154 दिनांक 31.01.2020 के द्वारा सीडीईओ सिरोही श्री लक्ष्मीदेवी की बेटी के नाम कार लगाकर अनियमिता करने की जांच एवं जिला कलक्टर सिरोही के पत्रांक / विकास / 2020 / 155 दिनांक 31.01.2020 एवं पत्रांक 283 दिनांक 18.02.2020 के संदर्भ में पाटी पेन का लाखों का बकाया तो कम्पनी ने नोटिस थमाया सीडीईओ सिरोही के विरूद्ध की जांच, उक्त सभी जांच एसडीएम सिरोही के द्वारा की गई जांच की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को [illegible] करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । Signature Not Verified Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal Date: 2021.05.27 12:20:24 IST Reason: SelfAttested (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned with CamScanner